भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2734
05 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के तहत ऋण तक पहुंच

2734. एडवोकेट चन्द्र शेखरः

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पीएमडीडीकेवाई के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के किसानों के लिए ऋण तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किये गये हैं;

(ख) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के किसानों की आय और उत्पादकता पर पीएमडीडीकेवाई के जाति-विशिष्ट प्रभावों का ब्यौरा क्या है, इनके पृथक मूल्यांकन क्यों नहीं किए गए और इन समुदायों के परिणामों का आकलन करने वाले स्वतंत्र अध्ययनों के लिए क्या योजनाएँ हैं;

(ग) हाल ही में केसीसी ऋण सीमा में वृद्धि से इन समुदायों को किस प्रकार लाभ हुआ है और इसके क्या अपेक्षित परिणाम होंगे;

(घ) इस योजना का लाभ कुलीन किसानों द्वारा उठाए जाने से रोकने के लिए प्रगति की निगरानी हेतु क्या कदम उठाए गए है;

(ङ) लक्षित हस्तक्षेपों के माध्यम से पीएमडीडीकेवाई किस प्रकार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के किसानों के सामने आने वाली ऋण पहुँच संबंधी चुनौतियों का समाधान करता है;

(च) असमान लाभ वितरण और बढ़ती लागत संबंधी चिंताओं के समाधान हेतु क्या कदम उठाए गए है;

(छ) जाति-विशिष्ट मूल्यांकन का ब्यौरा क्या है, जिसके अंतर्गत पीएमडीडीकेवाई हाशिए पर पड़े किसानों का सहयोग करता है;

(ज) हाशिए पर पड़े किसानों, जो भारत के छोटे किसानों का 86% हैं, का सहयोग करने के लिए विशिष्ट समावेशन रणनीतियों का ब्यौरा क्या हैं; और

(झ) निधि के दुरुपयोग को रोकने और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के किसानों के समक्ष भूमिहीनता, भेदभावपूर्ण ऋण और सीमित प्रौद्योगिकी पहुंच की समस्या का समाधान करने के लिए तंत्र का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (झ):केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16 जुलाई, 2025 को 100 जिलों को कवर करने हेतु प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (पीएमडीडीकेवाई) को मंज़ूरी दे दी गई है । इस योजना का कार्यान्वयन उपयुक्त योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से किया जा रहा है। प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना का उद्देश्य कृषि उत्पादकता में वृद्धि, फसल विविधीकरण और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाना, पंचायत और ब्लॉक स्तर पर फसल-उपरांत भंडारण क्षमता में वृद्धि, सिंचाई सुविधाओं में सुधार और दीर्घकालिक एवं अल्पकालिक ऋण की उपलब्धता को सुगम बनाना है।

सरकार पूरे भारत के विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में संशोधित ब्याज अनुदान स्कीम (एमआईएसएस) नामक 100% केंद्र द्वारा वित्तपोषित केंद्रीय क्षेत्र स्कीम को कार्यान्वित कर रही है। इस स्कीम का उद्देश्य किसानों को उनकी कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के माध्यम से लिए गए अल्पकालिक कृषि ऋणों पर रियायती ब्याज दरें प्रदान करना है।

अन्य स्कीमों के साथ-साथ, संशोधित ब्याज अनुदान स्कीम (एमआईएसएस)/किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) पीएम-डीडीकेवाई के तहत अभिसरित स्कीमों में से एक है जो किसानों तक ऋण पहुंच सुनिश्चित करने के लिए है।

एमआईएसएस/केसीसी स्कीम के अंतर्गत, किसानों (एससी/एसटी/ओबीसी/भूमिहीन और छोटे एवं सीमांत किसानों सहित) को 7% की रियायती ब्याज दर पर केसीसी ऋण मिलता है। इसे सुविधाजनक बनाने के लिए, वित्तीय संस्थानों को 1.5% की अपफ्रंट ब्याज छूट (इंटरेस्ट सबवेंशन) प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, जो किसान अपने ऋण को समय पर चुकाते हैं, उन्हें 3% शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन (पीआरआई) मिलता है, जिससे ब्याज दर प्रभावी रूप से घटकर 4% प्रति वर्ष हो जाती है। एमआईएसएस के अंतर्गत ब्याज छूट (आईएस)/शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन (पीआरआई) लाभ 3 लाख रुपये तक सीमित है, तथा संबद्ध गतिविधियों (जैसे पशुपालन/डेयरी/मुर्गी पालन/मत्स्य पालन) हेतु लिए गए ऋण के लिए सीमा 2 लाख रुपये है। एमआईएसएस एक मांग आधारित स्कीम है और इसका लाभ सभी किसानों के लिए उपलब्ध है।

छोटे और सीमांत किसानों (एसएमएफ) तक ऋण पहुंच को सुविधाजनक बनाने के लिए, आरबीआई ने हाल ही में केसीसी में संपार्श्विक मुक्त (कोलेटरल फ्री) ऋण सीमा को दिनांक 01.01.2025 से मौजूदा 1.6 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दिया है।

*****